GLOBAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES UGC APPROVED ISSN: - 2348-0459
www.gjms.co.in
Volume-6, Issue-7, June 2017 Impact Factor: 3.987
Paper ID: UGC 48846-862

RURAL WOMEN IMPOWERNMENT: THROUGH INTERPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEMES

Madan Murari Prajapati
Research Scholar Economics Department R.D.V.V., Jabalpur (M.P.)

सारांशः राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी का मानना था, कि वास्तविक भारत गॉवों में बसता है तथा कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है । यूँ तो ऐसा कहा जाता है, कि आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रों को अर्थात् प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अंतर के बीच संतुलन एवं सामंजस्य अति आवश्यक है, परन्तु इसमें भी कृषि इसलिये भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसका सम्बन्ध मानवीय आवश्यकता से है । यदि भारत की बात की जाए तो हमारे यहॉ कृषि लगभग आधी आबादी कृषि एवं सहयामी क्रियाओं पर अपने जीवन यापन हेतु निर्भर है । भारत की किसी भी क्षेत्र या योजना में इतनी कूबत नहीं है, कि इतनी बड़ी श्रम शक्ति को खपा पायें । इसके बावजूद ळण्क्ण्च् में कृषि क्षेत्र की भागीदारी मात्र 17ण्4ः तक ही सीमित है, जो साल दर साल निरंतर कम होती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य बेरोजगारी एवं सीमांत उत्पादकता का शून्य होना है । बदलते परिवेश में मजदूरी आधारित रोजगार के बदले ग्रामीणों की सहभागिता आधारित स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना आवश्यक हो गया है ।

शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और सेहत के सूचीकांकों से साफ है, कि पिछड़े सामाजिक वर्गों के लिये विशेषकर महिलाओं के लिये बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है । उद्यमिता विकास आधारित योजनायें निर्धनता रेखा से नीच रह रहे लक्षित वर्गों, महिलाओं के रोजगार/ स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करके इनके सशक्तीकरण एवं जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटकर ऋणात्मक स्थिति में पहुॅच गयी हैः–

क्षेत्र	रोजगार (31 मार्च 2011) लाख में			परिवर्तन प्रतिशत में	
	2009	2010	2011	2010/2009	2011–2010
सार्वजनिक	177.94	178.62	175.48	0.4	- 1.8
निजी	103.77	108.46	114.52	4.5	5.6
कुल	281.72	287.08	287.99	1.9	1.0
महिलायें	55.80	58.59	59.53	5.1	1.6

स्रोतः लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2013–14

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के दशकों पश्चात् भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टि डालते हैं तो स्थितियॉ बहुत उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकतीं हैं । नियोजित विकास के पश्चात् भी ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, कुपोषण तथा सामाजिक असमानता जैसी बुराईयों से ग्रस्त है । विशेषकर महिलाओं के रोजगार की स्थिति बेहद निराशाजनक हैः–

समूह	ग्रामीण			शहरी			अखिल भारतीय		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
सामान्य वर्ग	4.5	8.3	5.2	3.8	14.5	5.6	4.2	10.5	5.3
पिछड़ा वर्ग	4.1	6.4	4.7	3.8	15.3	5.3	4.0	7.6	4.8
एससी वर्ग	3.9	5.7	4.4	4.5	10.8	5.8	4.0	6.6	4.6
एसटी वर्ग	4.0	5.1	4.3	4.4	9.5	5.5	4.0	5.5	4.5
कुल	4.2	6.4	4.7	3.9	12.4	5.5	4.1	7.7	4.9

स्रोतः लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2013–14 (प्रतिशत में)

गामीण क्षेत्रों में जीवन का मकसद मात्र रोजी–रोटा तक सीमित नहीं रखना चाहिये, बल्कि बदलते परिवेश में सरकार का लक्ष्य सब लागों को मछली देने की बजाय उन्हें मछली पकड़ना सिखाना होना चाहिए, ताकि लाभकारी और संयोजित रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी का समूल उन्मूलन किया जा सके । आजादी के बाद से गरीबी हटाने पूर्ण रोजगार जैसे बड़े–बड़े नारे दिये गये, लेकिन इनकी धूरी कौशल विकास आधारित उद्यमिता की ओर शुरूआत में ध्यान नहीं दिया गया । कौशल विकास जहॉ व्यक्ति की विशेषज्ञता को बढ़ाता है, वहीं उसकी रचनात्मकता का विस्तार भी करता है, साथ ही उत्पादन के स्तर, उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है । कौशल विकास एक साथ समृद्धि जैसे मांग–आपूर्ति, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग एवं विकास जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय व गुणवत्तापूर्ण जीवन को सुनिश्चित विकास करता है, वहीं उद्यमिता एक अभिनव और गतिशील प्रक्रिया है, जिसके तहत नये–नये उद्यम उत्पन्न होते हैं, उद्यमी परिवर्तन का एक प्रेरक एजेण्डा है, जिसे कौशल विकास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है । वर्तमान सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उद्यमिता विकास

को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की घोषणायें की हैं, उन योजनाओं को यदि संजीदगी से लागू किया जाये तो सचमुच देश की तस्वीर बदल सकती है एवं ग्रामीण उद्यमिता सामाजिक, आर्थिक विकास, रोजगार एवं सशक्तीकरण का प्रभावी साधन प्रतीत हो सकते हैं ।

Objective Of Study:

महिलाये प्रत्येक समाज, देश एवं अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, महिलायें मानव पूँजी का लगभग आधा भाग है, इनके विकास के बिना देश का सर्वांगीण एवं सामंजस्यपूर्ण विकास संभव नहीं है । संविधान में समानता का अधिकार और पुरूषों के समान विशेषाधिकार की संवैधानिक गारण्टी के बावजूद महिलायें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रक्रिया की शिकार से हांसिये पर है । शोध निम्न उद्देश्यों को लेकर किया गया हैः–

1. महिलाओं के नवाचार, अभिनव पहल एवं संगठनात्मक रूप में उद्यमिता विकास की भूमिका का अध्ययन ।
2. महिलाओं के आय सृजन क्षमता वृद्धि में उद्यमिता विकास की भूमिका का अध्ययन ।
3. महिलाओं के रोजगार वृद्धि में उद्यमिता विकास की भूमिका का अध्ययन ।

Hypothesis:

शोध अध्ययन निम्न परिकल्पना पर आधारित किया गया हैः–

1. उद्यमिता आधारित विकास योजनायें महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ।
2. उद्यमिता आधारित विकास योजनायें महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है ।

Research Methodology And Data Collection:

शोध–पत्र द्वितीय समंकों के आधार पर किया गया है । द्वितीयक समंकों का संकलन, विभिन्न बेवसाइटों, पत्र पत्रिकाओं, रिसर्च पेपरों, विभागीय वार्षिक रिपोर्टों तथा सर्वेक्षण इत्यादि के माध्यम से किया गया है । शोध पत्र में विभिन्न माध्यमों से संकलित समंकों का विश्लेषण किया गया है एवं समंकों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

India's Position In The Current Time:

परम्परा और प्रगति के बीच आज का युवा द्वंदग्रस्त है । अकादमिक डिग्रियों में वह शक्ति नहीं है, कि वह अपने धारकों को जीविका के पर्याय कौशल और हुनर सिखा सकें । सिर्फ किताबी ज्ञान या कक्षा तक सीमित वृद्धि से व्यक्ति को जीविका की विस्तृत दीक्षा नहीं मिल सकती । ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में 28.70 करोड़ लोग पढ़–लिख नहीं सकते, ये दुनिया की 37: निरक्षर आबादी है, जो फ्रांस की आबादी से 4 गुना अधिक है, यदि वे आबादी अलग देश बनाकर रहने लगे तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जायेगा ।

- भारत की महत्वाकांक्षायें आसमान छू रही हैं, विक्स देशों का अगुवा बनने से लेकर विदेशी निवेश का पंसदीदा गंतव्य बनने, 2025 तक उच्चतर मध्य आय वर्ग वाले देश में शुमार होने और 'मेक इन इंडिया', 'स्टेंडअप इंडिया' की कवायद की चाहत । लेकिन जब बात देश के गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, भुखमरी पर आती है तो सारा उत्साह कफूर हो जाता है । एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2014 में गरीबी का आधार 1.51 डालर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को माना है, जिसके अनुसार देश की 58. 40 करोड़ जनसंख्या लगभग 50: जनसंख्या मात्र जीवन निर्वाह पर जी रही है । यह आधार वास्तविकता के अधिक करीब है, क्योंकि Globle Hunger Index 2016 के अनुसार भूखे लोगों के मामले में भारत 118 देशों में 97वें नंबर पर हैं । देश में प्रतिदिन 20 करोड़ लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं, देश में 15०2: लोग 39.4 बच्चे कुपोषित हैं ।
- गरीबी निवारण एवं रोजगार मूलक योजनाओं के मामले में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है । विश्व के किसी भी देश से अधिक यहां योजनायें संचालित हैं, देश में गर्भवती महिला की गोद भराई से लेकर स्कूल जाने, कुपोषण दूर करने, विवाह करने, स्वरोजगार देने तथा तीर्थ दर्शन कराने से लेकर अंतिम संस्कार तक की योजनायें संचालित हैं, किन्तु क्रियान्वयन के मामले में स्थिति बेहद निराशाजनक है, जिसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं के निर्माण से लेकर क्रियान्वयना के विभिन्न स्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार है । Corruption perception index 2014 के अनुसार भारत 175 सबसे भ्रष्ट देशों में 85वें स्थान पर था ।
- भारत में योजनाओं की असफलता का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार के अलावा यह भी है, कि अभी भी देश में योजनाओं म लोगों की सहभागिता का अभाव है, आज भी महिलायें आर्थिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन की परिधि से बाहर है । महिलाओं के निम्न श्रम बल भागीदारी में भारत विश्व में न्यूनतम में से एक एवं दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद दूसरा न्यूनतम है ।
- ''ग्लोबलाइजेशन एवं उदारीकरण के इस दौर में सभी आम और खास ने खेती का लाभ का धंधा मानने से परहेज करते हैं, यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद से 40 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि कृषि से इतर कार्यों के लिये छीन ली गई है और इसी दौर में 4 करोड़ किसान खेती का छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने पर मजबूर है। सीमांत उत्पादकता शून्य होने के बावजूद देश के आधे श्रम शक्ति को कृषि ही खपाये हैं और जिस तरह से विदेशी निवेश के दौर में कृषि हांसिये पर धकेला जा रह है, कृषि क्षेत्र को लेकर नीतियों में जिस तरह से शून्यता स्पष्ट होती है और सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पैदा संकट से निपटने के लिए बहुत धीमी प्रतिक्रिया दे रही है, यदि स्थिति से सही ढंग से निपटा नहीं गया तो आर्थिक सुधारों की योजनाओं पर पानी फिर जावेगा ।

Women Intreprenuership Development Schemes in India:

स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं के निम्न स्तर के मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा विभिन्न विधान आधारित योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिनमें महिलाओं के भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, जैसेः–

- 2.50 लाख अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई सटैंडअप इंडिया योजना के शुरूआती चरण में 500 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जाने की बात कही गई । इस योजना के अंतर्गत प्रति बैंक शाखा में कम से कम दो ऐसी परियोजनाओं के लिये मदद की जायेगी, जिनका संचालन महिला उद्यमी कर रही होंगी । योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1.60 लाख महिला उद्यमियों को फायदा मिला है ।
- 25 सितम्बर 2014 को भारत सरकार द्वारा गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का शुभारंभ किया । इसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण युवाओं के जीवन में सुधार लाना और उनका समावेशी विकास करना है । योजनान्तर्गत कुल 10.94 लाख उम्मीदवारों का प्रशिक्षित किया गया और कुल 8.51 लाख उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया । इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य, निर्माण, चमड़ा, बिजली, प्लंबिंग आदि जैसे 250 से अधिक ट्रंडों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों म निर्धनता निवारण के लिए स्व–रोजगार की एक योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ;छत्स्डद्ध की शुरूआत सरकार ने 3 जून 2011 को किया, जिसमें IRDP, TRYSEM, DWACRA, SITRA, GKY, MWS, SGSY का विलय किया है । इस योजनान्तर्गत BPL परिवार के 100% SC/ST के 50ः अल्पसंख्यको के 15ः तथा विकलांगों के 3ः परिवारों को स्व–सहायता समूह के रूप में गठितकर क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें देश की तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने लायक बनाएगा । वर्तमान में स्व–सहायता समूह ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी निवारण तथा महिला सशक्तीकरण में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है ।
- भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति स्किल इण्डिया 15 जुलाई 2015 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को उनकी पसंद के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनकी स्व–रोजगार सम्बन्धी योजना को बढ़ाना है । कौशल प्रदान प्रक्रिया में निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तरों पर पंचायती राज संस्था तथा कौशल प्रशिक्षण के अनुभव वाले शिक्षण संस्थानों को जुटाना पड़ेगा । इसमें सभी वर्गों को समान महत्व दिये जाने की आवश्यकता है ।

21 मार्च 2015 को रू. 1120 करोड़ के कुल परिव्यय वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) स्वीकृत की गई, जिसका लक्ष्य 1.5 मिलियन युवा को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण में 10वीं एवं 12वीं पास घर बैठे लड़कों को प्राथमिकता देना । मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, छठ। जैसे कार्यक्रमों में श्रम बल की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देना तथा तत्संबंधी उद्यमिता स्थापित में उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।

- स्वरोजगार के अधिकारिक अवसर सृजित करने के लिए एक नया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ;च्डम्ळच्द्ध 15 अगस्त 2008 को प्रारंभ किया गया । इस कार्यक्रम के तहत् लघु उद्यमिता स्थापित करने के लिये ऋण स्वरोजगारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें कुछ अंश सब्सिडी का होगा । विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख व व्यापार/ सेवा क्षेत्र 10 लाख तक की परियोजना इसके तहत् स्थापित की जा सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो रहे हैं, इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जा सकता है । वर्ष 2013–14 में इसके लिये 1418 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे ।
- भारत सरकार ने 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की स्थापना की थी । विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की यह एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल आधारित उद्यमिता स्थापित करने के साथ गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन करती है, जिससे ग्रामीण पलायन भी रूका है । रोजगार उपलब्ध कराने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, कि रोजगार उद्यमिता पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचायें साथ ही उससे ग्रामीण आबादी लाभांवित हो । फिलहाल खादी ग्रामोद्योग 115 प्रकार की ग्रामीण उद्यमिता स्थापित करने में मदद कर रहा है, जिनमें खनिज, वन, कृषि, पम्परागत एवं सेवा आदि प्रमुख क्षेत्र हैं । वर्ष 2016 में इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3.502 करोड़ उद्यम स्थापित थी, जो कुल उद्यमों का 59ण्9ः है । इन उद्यमों की औसतन वृद्धि 39.28ः की है तथा उद्यमा में रोजगारों की औसतन वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में 3ण्59ः है ।
- अल्प संख्यकों और महिलाओं के कल्याण और कौशल विकास के लिये 'बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम' तथा 'उस्ताद योजना' को 21 मई 2015 से प्रभावी रूप से लागू किया गया है । बैंकों को एक दिन में ऋण मुहैया कराये जाने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन एक दिन में ऋण मिल जाना एक सपने से कम नहीं है ? अगर सचमुच बैंक ऋण के आवेदन कर्ताओं को एक दिन में किसी भी रूप में ऋण देते हैं तो यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा और सचमुच देश की तस्वीर बदल सकती है ।

- जनवरी 2015 में मुद्रा बैंक योजना की शुरूआत भी की गई है, इस योजना का मकसद छोटे कारोबारियों और महिलाआ को ऋण सुविधा देना है । 'मुदा' यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एण्ड रिफाइनेंस एजेंसी की स्थापना वैधानिक संस्था के तौर पर होगी, लेकिन शुरूआती दौर मे वे 'की' ;झमलद्ध यूनिट के तौर पर काम करेगा । इस योजना के जरिये 10 लाख रूपये तक के ऋण तीन तरह के उद्योगों को दिये जायेंगेः–

शिशु ऋण : 50,000 रू. तक के लोन
किशोर ऋण : 50,000 से 5 लाख रू. तक के ऋण
तरूण ऋण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण दिये जाने की बात की गई है ।

अनुमान है, कि देश के करीब 5 करोड़ 77 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा । योजना में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है । पिछले वर्ष इससे 2.07 लाख महिला उद्यमियों को लाभ मिला है ।

- पब्लिक सेक्टर बैंक के लिये त्ठप् ने दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसके अंतर्गत सभी बैंको को महिला सशक्तीकरण के लिये कुल ऋण लक्ष्य ;ज्वजंस स्वदम जंतहमजद्ध का पॉच फीसदी सिर्फ महिलाओं को देकर पूरा करना है । त्ठप् ने यद्यपि यह गाइड लाइन 2001 में ही लागू की थी, लेकिन चौकाने वाली बात यह है, कि आज तक बैंक लक्ष्य का पूरा करने में असमर्थ दिखाई देते हैं ।

बैंक के लिए गठित संसदीय समिति ने महिलाओं को दिये जाने वाले ऋण पर विशेष रियायत देने की सिफारिश भी की है, लेकिन उस गाइड लाइन का भी कितना पालन हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना भी हास्यास्पद होगा । अधिक से अधिक महिलाओं बैंक तक आये इसलिये अब निजी बैंक और सरकारी बैंक महिलाओं के लिये विशेष ब्रांच तो खोल ही रहे हैं, लेकिन अभी भी बैंक और योजनायें महिलाओं की पहुंच में आ पायेंगे, ये तो आने वाला वक्त बतायेगा ।

Entrepreneurial Scheme Impact on Woemn Empowerment:

देश में महिलाओं के सार्वभौतिक सशक्तीकरण हेतु विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिनमें महिलाओं के भागीदारी को प्राथमिकता दी गयी है, जिनसे जुड़ने के बाद महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं नेतृत्व क्षमता में आशातीत परिवर्तन आये हैं। ग्रामीण भारत में गठित स्व–सहायता समूह ऐसे प्रबंधों का समुचित उदाहरण है, जो महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़कर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय परिस्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम बना रहे हैः–

1	2	2013.14		2014.15		2015.16	
		No.of SHG (in Lakh)	Amount (Crore)	N. of SHG (in Lakh)	Amount (Crore)	No. of SHG	Amount (Crore)
SHG Saving with Bank 31st March	Total No.of SHG	74.30	98.97	76.97 (3.59%)	1059	79.03 (2.68%)	13691 (23.79%)
	Women SHG	62.52	8012	66.51 (6.38%)	9264 *15.61%)	67.63 (1.68%)	12035 (29.92%)
	% of Women SHG	84.15	80.96	86.41	83.77	85.58	87.91
Loan distributed to SHG	Total No. of SHG	13.66	24.17	16.26 (19.03%)	27585 (14.84%)	18.32 (12.67%)	37286 (35.10%)
	Women SHG	11.52	21037	14.48 (25.69%)	25519 (16.07%)	16.29 (12.50%)	34411 (40.92%)
	% of Women SHG	84.3	87.6	89.05	83.53	88.92	92.29
Stable Rural Intrepre-neurship	Total No. of SHG Inter-prenuer	275 Lakh		330Lakh		371 Lakh	
	% of Women Inter-prenuer	84.4		89.05		89.0	

Source: Economic Survey : 2015-16

महिलाओं की उद्यमिता विकास योजनाओं से जुड़ने के पश्चात् महिलाओं में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन नजर आये हैं, जिनमें प्रमुख हैं:–

- सार्वभौतिक एकजुटता
- गरीबों के संस्थापन को प्रोत्साहन
- प्रशिक्षण क्षमता निर्माण तथा कौशल का विकास
- परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी का फायदा
- सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन
- ब्याज सब्सिडी का फायदा
- आजीविका के विभिन्न उद्यमों की स्थापना
- उन संरचनाओं का सृजन तथा बाजार सहायता
- कौशल विकास तथा नियोजन परियोजनाओं का विस्तार
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना
- नवीनीकरण
- तालमेल का विकास
- गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण
- पंचायती राज संस्थाओं में बढ़ती भूमिका
- तकनीकी सहायता विकास
- निगरानी तथा शिक्षण में वृद्धि
- वित्त पोषण पद्धतियों का विकास तथा विभाजन
- चरणबद्ध तरीके से कार्यपद्धति सम्पन्न करने की सामर्थ्य का विकास

निष्कर्ष.

बजट के विश्लेषण को गहराई से पढ़ने के बाद पता चलता है, कि महिलाओं के लिये आवंटित राशि महिलाओं के विकास के लिये नाकाफी है । हॉ यह सच है, कि 2015–16 की तुलना में विभिन्न मंत्रालयों में महिलाओं की योजनाओं के लिए एक साथ निर्देशित धन में 60.236 करोड़ अधिक आवंटित किये गये हैं । महिलाओं के लिये 2015–16 में 11. 388 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे, जो वर्ष 2016–17 में 17.412 करोड़ रूपये हो गयी है । इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते है, कि भारत के विकास की कहानी में सरकार महिलाओं के लिये छोटे–छोटे कदम उठा रही है ।

- भारत सरकार की सभी उद्यमिता आधारित योजनायें मांग आधारित रणनीति पर आधारित है, इसलिये गरीबी उन्मूलन एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए आजीविका आधारित योजनायें संचालित किये जाने की जरूरत है, जो परस्पर गरीबी अनुपात पर आधारित हो एवं समय के साथ–साथ गरीबों के संस्थापन की परिपक्वता के फलस्वरूप के निचले स्तर पर आयोजित की जाये ।

सन्दर्भ – ग्रन्थ

- *कश्यप जगन्नाथ, अप्रैल 2016, कृषि अर्थ व्यवस्था में बुनियादी बदलाव, कुरूक्षेत्र, PP 14-17*
- *Prajapati M. नवंबर 2016, सतत विकास की प्रासंगिकता में भारत की अवसंरचना की दशा एवं दिशा, G) ESSS, Vol;. 02, ISSN 2394 - 3084*
- *सुरभि गौड़, अप्रैल 2016, युवाओं की उम्मीद, कुरूक्षेत्र पत्रिका PP. 32-33*
- *मेहरोत्रा पूजा, अप्रैल 2017, महिला उद्यमियों की राह आसान, PP.48-50 कुरूक्षेत्र*
- *कुमारी डिम्पल, अगस्त 2015, समावेशी विकास से ही विकास योजना ISSN 0971-8397, PP. 31-33*
- *www.rbi.org.in*
- *www.innoviti.com*
- *www.nabrad.org*
- *www.indianbank.com*
- *www.egoventline v*